



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 20 दिसम्बर, 2003

अग्रहायण 29, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1881/सात-वि-1-1(क) 7/2003

लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2003)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 22 मार्च, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और प्रारम्भ

अधिनियम संख्या 5
सन् 1908 की
धारा 115 का
प्रतिस्थापन

2-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और इसे 1 जुलाई, 2002 से लागू हुआ माना जायेगा, अर्थात्-

“115(1)-किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी मूल वाद या अन्य कार्यवाही, पुनरीक्षण विनिश्चित किसी मामले में, जहां आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है और जहां अधीनस्थ न्यायालय ने,-

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है; या

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है; या

(ग) अपनी अधिकारिता को अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता के साथ प्रयोग किया है;

वहां पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

(2) जब उच्च न्यायालय में उपधारा (1) के अधीन कोई पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया जाता है तो ऐसे आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर, मामले के शीर्ष के नीचे, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र अन्तर्विष्ट होगा कि जिला न्यायालय मामले का पुनरीक्षण नहीं कर सकता है किन्तु केवल उच्च न्यायालय, मूल्यांकन के कारण या पुनरीक्षण के लिये इप्सित आदेश जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, के कारण, मामले का पुनरीक्षण कर सकता है।

(3) वरिष्ठ न्यायालय, इस धारा के अधीन, किसी आदेश को परिवर्तित या उलट देगा, सिवाय जहां,-

(एक) आदेश, यदि पुनरीक्षण दायर करने वाले पक्षकार के पक्ष में पारित किया गया हो, वाद अथवा कार्यवाही का अन्तिम रूप से निस्तारण करता हो, या

(दो) आदेश, यदि बरकरार रहने की अनुमति दी गयी हो, उस पक्षकार को न्याय की असफलता उत्पन्न होगी अथवा अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसके विरुद्ध उसे पारित किया गया था।

(4) पुनरीक्षण, न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही के स्थगन के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, सिवाय जहां ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी जाती है।

स्पष्टीकरण-एक इस धारा में-

(एक) पद “वरिष्ठ न्यायालय” का तात्पर्य,-

(क) जिला न्यायालय से है, जहां उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले का मूल्यांकन पांच लाख रुपये से अनधिक हो ;

(ख) उच्च न्यायालय से है, जहां पुनरीक्षण के लिए इप्सित आदेश जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया था या किसी मामले में मूल वाद का या अन्य कार्यवाहियों का मूल्य जो कि जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया था पांच लाख रुपये से अधिक हो।

(दो) पद ‘आदेश’ के अन्तर्गत किसी मूल वाद में किसी वाद बिन्दु या अन्य कार्यवाही को विनिश्चित करने वाला आदेश है।

स्पष्टीकरण-दो इस धारा के उपबन्ध, इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात ऐसे मूल वादों या संस्थित अन्य कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पूर्व पारित आदेश पर भी लागू होंगे।”

3-(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी 1 जुलाई, 2002 को या पश्चात दाखिल किसी पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश इस आधार पर कि पुनरीक्षण जिला न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए था, आपत्ति या पुनर्विलोकन के लिए दायी नहीं होगा।

संक्रमणकालीन
उपबन्ध

(2) जिला न्यायालय में दाखिल किसी पुनरीक्षण में किसी मामले में, जहां मूल वाद या कार्यवाही का मूल्य पांच लाख रुपये से अधिक न हो और इस अनुमान पर उसके द्वारा निर्णीत किया जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा, मूल अधिनियम की धारा 115 के संशोधन के रहते हुए भी जिला न्यायालय में सही रूप से दाखिल किया गया समझा जायेगा और उस पर उसका निर्णय इस आधार पर आपत्ति योग्य नहीं होगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से लम्बित ऐसा पुनरीक्षण, यदि कोई हो, उस न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(3) यदि 1 जुलाई, 2002 को या उसके पश्चात, जिला न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष मूल अधिनियम की धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन दाखिल किया गया हो, जहां कि मूल वाद या कार्यवाही का मूल्य पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है और ऐसी याचिका इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित है, तो ऐसी याचिका जब तक कि उस पर बहस पूरी न हो गई हो और उच्च न्यायालय द्वारा केवल निर्णय सुनाया जाना शेष हो, सम्बन्धित जिला न्यायालय को अन्तरित हो जायेगी और उसे इस अधिनियम द्वारा यथा प्रति स्थापित धारा 115 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

4-(1) सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और
अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

बीस हजार रुपये तक के मूल्य के मूल वादों से उद्भूत मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के पुनरीक्षण के लिये जिला न्यायाधीशों को सशक्त करने की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 115 को संशोधित करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1978) अधिनियमित किया गया था। उक्त मूल्य को एक लाख रुपये तक बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1991) द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उक्त संहिता की धारा 115 को अग्रतर संशोधित किया गया। चूँकि उक्त संशोधनों को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1999) की धारा 32 द्वारा निरसित कर दिया गया है, अतः राज्य में अब जिला न्यायाधीशों के पास कोई शक्ति नहीं है कि वे सन् 1999 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से अर्थात् 1 जुलाई सन् 2002 से मूल वादों से उद्भूत मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को पुनरीक्षित कर सकें। इसी प्रकार के विचार उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यूनाइटेड सर्विस क्लब और अन्य बनाम अनीता वालों और अन्य (सिविल डिवीजन संख्या 92 सन् 2002) में दिनांक 16 सितम्बर, 2002 को निर्णय देकर व्यक्त किये गये। परिणामस्वरूप किसी मूल्य के वादों से उद्भूत मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश के विरुद्ध

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 26
सन् 2003

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 5 सन्
2003

पुनरीक्षण दाखिल करने के लिये वादकारी को उच्च न्यायालय जाना पड़ता है जबकि वह बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 के उपबन्धों के अधीन पांच लाख रुपये तक के मूल्य के मूलवादों में पारित अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि पांच लाख रुपये तक के मूल्य के मूलवादों से उद्भूत मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को पुनरीक्षित करने के लिये जिला न्यायाधीशों को सशक्त करने की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उक्त संहिता की धारा 115 को संशोधित किया जाय।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003 एतद्वारा पुरस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर०बी० राव,
प्रमुख सचिव।

No. 1881(2)/VII-V-1-1(KA)-7/2003

Dated Lucknow, December 20, 2003

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Civil Prakriya Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2003 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2003) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 19, 2003:—

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (UTTAR PRADESH AMENDMENT)
ACT, 2003

(U.P. ACT No. 14 of 2003)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Code of Civil Procedure, 1908 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent
and commencement

1.(1) This Act may be called the Code of Civil Procedure, (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on March 22, 2003.

Substitution of
section 115 of Act
no. 5 of 1908

2. For section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from July 1, 2002, namely:—

“115.(1) A superior court may revise an order passed in a case decided in an Revision original suit or other proceeding by a subordinate court where no appeal lies against the order and where the subordinate court has—

(a) exercised a jurisdiction not vested in it by law; or

(b) failed to exercise a jurisdiction so vested; or

(c) acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity.

(2) A revision application under sub-section (1), when filed in the High Court, shall contain a certificate on the first page of such application, below the title of the case, to the effect that no revision in the case lies to the district court but lies only to the High Court either because of valuation or because the order sought to be revised was passed by the district court.

(3) The superior court shall not, under this section, vary or reverse any order made except where,—

(i) the order, if it had been made in favour of the party applying for revision, would have finally disposed of the suit or other proceeding; or

(ii) the order, if allowed to stand, would occasion a failure of justice or cause irreparable injury to the party against whom it is made.

(4) A revision shall not operate as a stay of suit or other proceeding before the court except where such suit or other proceeding is stayed by the superior court.

Explanation -I. In this section,—

(i) the expression 'superior court' means—

(a) the district court, where the valuation of a case decided by a court subordinate to it does not exceed five lakh rupees;

(b) the High Court, where the order sought to be revised was passed in a case decided by the district court or where the value of the original suit or other proceedings in a case decided by a court subordinate to the district court exceed five lakh rupees;

(ii) the expression 'order' includes an order deciding an issue in any original suit or other proceedings.

Explanation -II. The provisions of this section shall also be applicable to orders passed, before or after the commencement of this section, in original suits or other proceedings instituted before such commencement."

3.(1) Notwithstanding anything contained in this Act, no judgement or order passed by the High Court in a revision filed on or after July 1, 2002 shall be liable to be questioned or reviewed on the ground that the revision ought to have been filed in the district court.

Transitory
Provisions

(2) Any revision filed in the district court in a case where the value of the original suit or proceeding does not exceed five lakh rupees and is decided by it on the assumption that the district court would have jurisdiction notwithstanding the amendment of section 115 of the principal Act, by the Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 1999 shall be deemed to have been correctly filed in that court and its decision thereon shall not be liable to be questioned on this ground, and such revision, if any pending on the date of commencement of this Act, shall be decided by that court.

(3) If on or after July 1, 2002 an application for revision under section 115 of the principal Act has been filed before the High Court in a case decided by a court subordinate to the district court, where the value of the original suit or proceeding does not exceed five lakh rupees and such application is pending on the date of commencement of this Act, then such application, unless arguments thereon have already been concluded and only judgement remains to be pronounced by the High Court, shall stand transferred to the district court concerned, and the same shall be disposed of in accordance with the said section 115 as substituted by this Act.

Repeal and savings.

4-(1) The code of Civil Procedure (Uttar Pradesh Amendment) (Second) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

U.P.
Ordinance
no. 26 of
2003.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Code of Civil Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2003 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

U.P.
ordinance
no. 5 of
2003

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Code of Civil Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1978 (U.P. Act no. 31 of 1978) was enacted to amend *inter-alia* section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908 in its application to Uttar Pradesh to provide for empowering the District Judges to revise the orders of courts subordinate to them arising out of the original suits of the valuation up to Rupees Twenty thousand. The section 115 of the said Code was further amended in its application to Uttar Pradesh by the Uttar Pradesh Civil Law (Amendment) Act, 1991 (U.P. Act no. 17 of 1991) to raise the said valuation up to Rupees One lakh. Since the said amendments have been repealed by section 32 of the Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 1999 (Act no. 46 of 1999), the District Judges in the state now have no power to revise the order of the courts subordinate to them arising out of original suits with effect from the date of commencement of the said Act of 1999 *i.e.* 01-07-2002. Same view has been expressed by the Hon'ble High Court of Judicature Allahabad in the matter of United Service Club and others Vs. Anita Barlo and others (Civil Revision Number 92 of 2002) decided on 16-9-2002. Consequently a litigant has to approach the Hon'ble High Court for filing a revision against the order of the subordinate courts arising out of suits of any valuation, whereas, he can file an appeal before the District Judge against the order of the subordinate courts passed in original suits of valuation up to Rupees Five lacs under the provisions of Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887. With a view to removing the difficulties, it has been decided to amend section 115 of the said Code in its application to Uttar Pradesh to provide for empowering the District Judges to revise the orders of the courts subordinate to them arising out of original suits of the valuation up to Rupees Five lacs.

The Code of Civil Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2003 is introduced accordingly.

By Order,
R.B. RAO
Pramukh Sachiv.